

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना
(बिहार सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013

अधिसूचना संख्या – Com/VDLS-103/2013/1464 / दिनांक 28.06.2013

विद्युत उपभोक्ता एवं उपभोक्ता समूह के अनुरोध पर, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, निम्न विभव (LT) उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवा सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 1 जुलाई 2013 से 30 नवम्बर 2013 तक के अवधि के लिए Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 (VDLS-2013), बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता 2007, स्टैंडर्स ऑफ परफोरमेन्स तथा विद्युत अधिनियम 2003 के तत्संबंधी प्रावधानों के अधीन लागू करती है।

Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 (VDLS-2013)

1. सामान्य प्रावधान

- 1.1 यह योजना Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 के नाम से जानी जायेगी।
- 1.2 यह योजना **01 जुलाई 2013 से 30 नवम्बर 2013** तक के अवधि के लिए पूरे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- 1.3 यह योजना बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007, विद्युत अधिनियम, 2003 तथा स्टैंडर्स ऑफ परफोरमेन्स के प्रावधानों के अधीन होगी।
- 1.4 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उपभोक्ताओं के हित में अथवा संहितीय एवं विधिक प्रावधानों के तहत इस योजना में समय – समय पर वांछित बदलाव के लिए स्वतंत्र होगी।
- 1.5 सभी संशोधन उपभोक्ताओं को विभागीय सूचना/कंपनी के वेबसाइट, समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से दी जायेगी।
- 1.6 इस अधिसूचना के प्रति तथा योजना की विवरणी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं।
- 1.7 **परिभाषा** : इस योजना के लिए बिहार विद्युत आपूर्ति अधिनियम 2007 में दी गई परिभाषा लागू होगी।

2. योजना के लाभ

- 2.1 इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने परिसर के विद्युत भार का आकलन खुद करते हुए तत्क्षण अपने अतिरिक्त विद्युत भार को सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा नियमित करा सकता है।

- 2.2 इस योजना के अधीन इच्छुक उपभोक्ता को भार स्वीकृति के लिए वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी।
- 2.3 इस योजना के अधीन उपभोक्ता को अपने विद्युत भार के वृद्धि के लिए कोई भी इंतजार नहीं करना होगा।
- 2.4 उपभोक्ता भूलवश अगर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर देता है तो ऐसे राशि का उसके अगले विपत्र में कर लिया जायेगा।

3. अर्हताएँ

- 3.1 यह योजना **70 किलोवाट/99 एचपी से कम के** विद्युत भार अथवा संविदा भार वाले सभी निम्न विभव उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध है।
- 3.2 इस योजना के अधीन विद्युत भार की वृद्धि **70 किलोवाट/99 एचपी से अधिक नहीं किया** जाएगा तथा यह उच्च विभव उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- 3.3 इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा अतिरिक्त विद्युत भार के लिए वर्ष 2013-14 के लिए प्रभावी टैरिफ आदेश के तहत देय विविध राशियों जैसे- मीटर रेन्ट, आवेदन शुल्क, जाँच एवं निरीक्षण शुल्क, मीटर के विस्थापन / पुर्नस्थापन का शुल्क पर्यवेक्षण मजूदरी तथा सर्विस कनेक्शन के लिए स्थापना शुल्क का अग्रिम भुगतान अतिरिक्त सुरक्षा राशि एवं प्राक्कलित राशि के साथ करना होगा।

4. योजना की विवरणी

- 4.1 इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बढ़े हुए विद्युत भार अथवा बढ़ाये जाने की घोषणा विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) सभी देय शुल्कों के अग्रिम भुगतान के साथ लाईसेन्सी के विभिन्न राजस्व संग्रहण काउन्टरों पर कर सकते हैं।
- 4.2 राजस्व काउन्टर द्वारा घोषणा-पत्र की द्वितीय प्रति पर प्राप्ति संबंधी अभियुक्ति दर्ज करते हुए उपभोक्ता को लौटा दिया जायेगा।
- 4.3 बढ़े हुए भार के अधीन निर्धारित अवधि में सभी देय शुल्कों के अग्रिम भुगतान एवं स्वघोषणा की प्रपत्र की प्राप्ति के साथ ही निम्न विभव उपभोक्ता का स्वीकृत भार स्वघोषणा के अनुरूप बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

5. देय अग्रिम शुल्क की विवरणी

5.1 अग्रिम शुल्क –

क्र०	विवरणी	आवेदन शुल्क (रु० में)	प्रतिभूति राशि (रु० प्रति किलोवाट)	निरीक्षण शुल्क (रु० में)	मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (रु० में)	कुल राशि (रु० में)
1.	सिंगल फेज से सिंगल फेज. (घरेलू) (DS)	75	400	0	0	रु० 75 (Fixed) + 400 प्रति किलोवाट
2.	सिंगल फेज से सिंगल फेज. (गैर घरेलू) (NDS)	75	1200	0	0	रु० 75 (Fixed) + 1200 प्रति किलोवाट
3.	सिंगल फेज से थ्री फेज (घरेलू) (DS)	200	400	200	900	रु० 1300(Fixed) + 400 प्रति किलोवाट
4.	सिंगल फेज से थ्री फेज (गैर घरेलू) (NDS)	200	1200	200	900	रु० 1300(Fixed) + 1200 प्रति किलोवाट
5.	थ्री फेज (DS) से थ्री फेज (NDS)	200	1200	200	900	रु० 1300(Fixed) + 1200 प्रति किलोवाट
6.	एलटीआईएस- I	300	1200 प्रति एचपी	200	0	रु० 500 (Fixed) + 1200प्रति एचपी
7.	एलटीआईएस- I से एलटीआई- II (25 एचपी से 99 एचपी तक)	300	1200 प्रति एचपी	200	1500	रु० 2000(Fixed) + 1200 प्रति एचपी
8.	एलटीआईएस- II	300	1200 प्रति एचपी	200	0	रु० 500(Fixed)+ 1200 प्रति एचपी

5.2 विभिन्न कोटि के उपभोक्ताओं द्वारा देय शुल्कों का अग्रिम भुगतान किया जायेगा।

5.3 तथा उन शुल्कों को जो उपभोक्ता के मामले में देय नहीं होंगे उनका समायोजन उपभोक्ता के अगले विपत्र में कर लिया जायेगा।

5.4 साथ ही अगर उक्त मद में उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि वास्तविक राशि से कम होगी तब अन्तर राशि उपभोक्ता के अगले विपत्र में भारित कर दी जायेगी।

6. प्रपत्र-A [Form-A]

संबद्ध भार के स्वघोषणा का प्रपत्र

क्रमांक	विवरणी			
1	उपभोक्ता का नाम एवं पता			
2	उपभोक्ता के पति/पिता का नाम			
3	उपभोक्ता का पता	ग्राम/मुहल्ला/वार्ड— पंचायत— प्रखण्ड— जिला— राज्य—बिहार मोबाईल / टेलि० नं०—		
4.	उपभोक्ता संख्या / लेखा संख्या			
5.	उपभोक्ता की श्रेणी			
6.	विद्युत कनेक्शन का उद्देश्य			
7.	संबद्ध भार की विवरणी			
क्र० संख्या	उपकरण का नाम	संख्या	प्रति यूनिट	कुल के०डब्लू० / एच०पी०
(i)	बल्ब		वास्तविक दर	
(ii)	ट्यूब लाईट 2' / 4'		20 / 40 वाट	
(iii)	पंखा		60 वाट	
(iv)	टैप रिकॉर्डर या म्यूजिक सिस्टम		25 वाट	
(v)	वेक्यूमक्लीनर		250 वाट / वास्तविक दर	
(vi)	टेलिविजन (क) रंगीन (ख) ब्लैक एण्ड व्हाईट		100 वाट 60 वाट	
(vii)	मिक्सी		60 वाट / वास्तविक दर	
(viii)	फ्रीज		200 वाट / वास्तविक दर	
(ix)	कूलर		200 वाट / वास्तविक दर	
(x)	हीटर (खाना बनाने या पानी गर्म के		1000 वाट / वास्तविक	

	लिए)		दर	
(xi)	वांशिंग मशीन (बिना ड्रायर)		250 वाट / वास्तविक दर	
(xii)	गीजर		1500 वाट / 4000 वाट / वास्तविक दर	
(xiii)	माईक्रो ओभेन		2000 वाट	
(xiv)	एयरकंडिशनर (1 टन / 1.5 टन / 2 टन)		1500 / 2000 / 2250 वाट या वास्तविक	
(xv)	स्प्लीट एयरकंडिशनर 1.5 टन / 2 टन		2250 वाट / वास्तविक	
(xvi)	कम्प्यूटर		100 वाट	
(xvii)	प्रिन्टर		150 वाट	
(xviii)	वाटर लिफ्टिंग पम्प सेट		375 वाट या वास्तविक	
(xix)	इन्वर्टर		शून्य	
(xx)	अन्य विद्युत उपकरण जो उपर्युक्त में शामिल न हो			
a				
b				
c				
8.	कुल योग (एचपी / किलोवाट)			
9.	स्वीकृत भार (एचपी / किलोवाट)			
(i)	अतिरिक्त विद्युत भार (एचपी / किलोवाट)			
(ii)	भुगतान किए गए अतिरिक्त राशि की विवरणी			
	कुल राशि (रु० में) –		रसीद संख्या –	

तिथि :

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

- नोट :-
1. खाली सॉकेट प्वाइंट/ होल्डर को भार गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
 2. कुलर फ्रीज, टीवी, आयरन, ओवन आदि जो खराब हैं, विद्युत आपूर्ति से संबद्ध नहीं हैं तथा कार्यरत नहीं हैं उन्हें भार गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 3. घरेलू उपभोक्ता के मामले में दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी माह के लिए गीजर तथा रूम हीटर के विद्युत भार आंकलित किए जायेंगे तथा अप्रैल से लेकर सितम्बर माह तक एयर कंडिशनर (बिना हीटर के) आंकलित किए जायेंगे। हीटर सहित एयर कंडिशनर के मामले में एयर कंडिशनर का कुल भार पूरे वर्ष के लिए आंकलित किया जायेगा।
 4. किसी भी विद्युत संबंध के लिए कम से कम 1 किलोवाट का विद्युत भार आंकलित होगा तथा 500 वाट से कम का अंश निकटतम निम्नतम पूर्णांक तथा 500 वाट से अधिक भार उच्चतर/निकटतम पूर्णांक पर आंकलित की जायेगी।
 5. भार आकलन के लिए उपभोक्ता बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के अद्यतन एवं संशोधित प्रावधानों का प्रसंग एनेक्चर 4(1) में, कर सकते हैं।
 6. आवेदन तथा देय शुल्क जमा करते ही अतिरिक्त विद्युत भार स्वीकृत मानी जायेगी एवं बिलिंग उसी बढ़े हुए भार पर की जायेगी।
 - 7- यह योजना केवल उपभोक्ताओं के सुविधा हेतु लागू की जा रही है। इसका नियमित भार जाँच के दौरान पायी जाने वाली विद्युत चोरी अथवा अतिरिक्त भार से कोई लेना देना नहीं होगा। इस दौरान विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत आपूर्ति कोड 2007 तथा अन्य सभी प्रभावी नियमों के सभी प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

ह0/-
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)